

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 648]

नई दिल्ली, बृहस्पतिबार, दिसम्बर 4, 2014/अग्रहायण 13, 1936

No. 648]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 4, 2014/AGRAHAYANA 13, 1936

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2014

सा.का.नि. 870(अ).—केंद्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा (2) के खंड (ञ) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधिक माप विज्ञान (पैकज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधिक माप विज्ञान (पैकज में रखी वस्तुएं) (दूसरा) (संशोधन) नियम, 2014 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- विधिक माप विज्ञान (पैकज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 26 में, खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ड.) कोई सूत जो हथकरघा बुनकरों को कुण्डलियों में बिक्रीत किया जाता है।"।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-10(47)/2013]

मनोज कुमार परीडा, संयुक्त सचिव

4790 GI/2014

टिप्पणी : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 202(अ), तारीख 7 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई और अंतिम संशोधन सा.का.नि. 137, तारीख 16 जून, 2014 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December, 2014

- G.S.R. 870(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (j) of sub-section (2) of Section 52 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, namely:—
 - (1) These rules may be called as the Legal Metrology (Packaged Commodities) (Second) (Amendment) Rules, 2014.
 - (2) They shall come into force from the date of their publication in Official Gazette.
 - In the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 in rule 26, after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:—
 - "(e) any thread which is sold in coil to handloom weavers.".

[F. No. WM-10(47)/2013]

MANOJ KUMAR PARIDA, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 202(E), dated the 7th March, 2011 and last amended vide notification number G.S.R. 137, dated the 16th June, 2014.